बिजनौर पुलिस

Date:- 29-06-2022

PRESS NOTE

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम में वांछित / 15000/- रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर शराब माफिया 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण मे दिनांक 28/29-06-2022 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा जमालती तिराहे से थाना नहटौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 15000/- रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर शराब माफिया ओमप्रकाश उर्फ भालू पुत्र जीत सिंह उर्फ जोत सिंह उर्फ जौटा निवासी ग्राम मुस्वीखानपुर उर्फ चौंगावा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 303/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त शातिर शराब माफिया है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर करीब 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पताः-

ओमप्रकाश उर्फ भालू पुत्र जीत सिंह उर्फ जोत सिंह उर्फ जौटा निवासी ग्राम मुस्वीखानपुर उर्फ चौंगावा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

01 चाकू नाजायज

अपराधिक इतिहास अभि0 ओमप्रकाश उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 732/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 29/14 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 140/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 108/16 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 777/16 धारा 307/353/504 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 949/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 95/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 301/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 95/22 धारा 420/272/468/467/471/34 भादवि व 60(1)(2) आबकारी अधिनियम व धारा 63 कापीराइट अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0सं0-303/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
11.मु0अ0सं0-186/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नहटौर जनपद जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरणः-

उ0नि0 श्री चन्द्रवीर सिंह, कां0 नीरज, कां0 486 अमित

बिजनौर पुलिस व प्रशासन द्वारा चोरी/लूट कर धन अर्जन करने वाले अभियुक्त जुल्फेकार पुत्र लियाकत की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 15 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर निरंतर कार्यवाही की जा रही है तथा गैगस्टर अधिनियम के अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नगीना के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस व प्रशासन द्वारा मु0अ0सं0 163/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में आज दिनांक 29.06.2022 को अभियुक्त जुल्फेकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर की अचल सम्पत्ति एक आवासीय पक्का मकान जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15,00,000/- रुपये (पन्द्रह लाख रुपये) की कुर्क की गई।

अभियुक्त का नाम व पताः-

जुल्फेकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

कुर्क सम्पत्ति का विवरणः-

आवासीय पक्का मकान जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15,00,000/- रुपये (पन्द्रह लाख रुपये)।

आपराधिक इतिहास जुल्फेकार उपरोक्तः-

1- 114/17 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2- 02/19 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3- 12/19 धारा 414 भादवि थाना जीआरपी नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4- 130/21 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
5- 163/21 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

थाना किरतपुरः- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नरदेव पुत्र खुशीराम महेंद्र पुत्र सागर तथा तेजपाल पुत्र राम फूल निवासी गण ग्राम मेमन सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नगीनाः- थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त गुलजार पुत्र खुर्शीद निवासी मोहल्ला कलान , अकबर पुत्र शौकत निवासी ग्राम तुख़्मापुर , अनुज कुमार पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम भवानीपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्ता जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना बढापुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना मण्डावलीः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना किरतपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना चाँदपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना मण्डावरः-मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना नूरपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।